न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ

पीठासीन अधिकारी —श्रीमति सीता शर्मा, आर.ए.एस.

अनवान

1 रामसिंह पुत्र श्री भुपराम जाति विश्नोई निवासी चक 13 एएस (भागसर) तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ (राज.)

—प्रार्थी

—बनाम—

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ (राज.)।

—अप्रार्थी

(पुर्नावलोकन प्रार्थना पत्र धारा 229 (2) आरटीएक्ट संपठित आदेश 47 नियम—1 सीपीसी)

प्रकरण संख्या — 34/2022 दिनांक — 15.02.2024

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :—

अप्रार्थी तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर ने धारा 86 आरटी एक्ट के तहत एक वाद पत्र प्रार्थी के विरूद्ध माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा कथन किया कि पटवारी हल्का 10 एएस से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार चक 13 एएस का पत्थर नं. 208/474 का किला नं0 1 ता 3 की 0.759 है. , किला नं. 4 की 0.26 है., किला नं. 8 ता 10 की 0.759 है. कुल 1.644 है. कमाण्ड भूमि प्रार्थी राम सिंह के नाम से खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा भूमि के किला नं. 1 वा 2, 10 में से तीन शीशम के पेड काट लिए गए हैं जिन्हें कुर्क कर ओम सिंह पुत्र दुले सिंह जाति राजपूत निवासी चक 13 एएस को सुपुर्दगी पर दिये गये हैं तथा उक्त पेडों को काटने बाबत अनूमति नहीं ली गई है। आदि आदि तथ्यों के आधार पर उक्त वाद प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया तथा बाद सुनवाई आदेश दिनांक 29.03.2022 पारित किया गया जिससे व्यथित होकर प्रार्थी निम्न आधारों पर अपना पुर्नावलोकन प्रार्थना पत्र पस्तुत किया गया।

प्रार्थी ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि चक 13 एएस का पत्थर नं. 208/474 का किला नं0 1 ता 3 की 0.759 है. , किला नं. 4 की 0.26 है., किला नं. 8 ता 10 की 0.759 है. कुल 1.644 है. कमाण्ड भूमि प्रार्थी राम सिंह के नाम से खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा भूमि के किला नं. 1 वा 2, 10 में से तीन शीशम के पेड काटे हैं (परन्तु सफेदा प्यूकेलिटमस्, सू बबूल, अरडू , विलायती बबूल, देसी बबूल, शीशम तथा इजरायली बबूल के पेडों को हटाने की किसी अनूमति की आवश्यकता नहीं होगी) यह आरटी (सरकारी) नियम—24 ड.ड.(1) के अनुसार अधिनियम की धारा 84 की उप धारा 2 के परन्तुक के अधीन है।

प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में से उक्त नियमों के तहत शीशम के पेड को हटाने की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी तथा तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर ने नियमों के विरूद्ध जाकर प्रार्थी के खिलाफ धारा 86 आर टी एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया गया है तथा माननीय न्यायालय द्वारा उक्त नियमों की अनदेखी कर नियमों के खिलाफ जाकर आदेश दिनांक 29.03.2022 पारित कर

लगातार.....2

ड अधिकारी
विजयनगर

Scanned with CamScanner

प्रार्थी पर जुर्माना लगाया है तथा जब्त लकडी को कुर्क कर निलामी राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये हैं जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्ती योग्य है तथा यह अभिलेख पर एक प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि रह गई है जिसे दुरूस्त कर आदेश दिनांक 29.03.2022 को अपास्त किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि में से 3 शीशम के पेड काटे गये है (परन्तु सफेदा प्यूकेलिटमस, सू बबूल, अरडू , विलायती बबूल, देसी बबूल, शीशम तथा इजरायली बबूल के पेडों को हटाने की किसी अनूमति की आवश्यकता नहीं होगी) यह आरटी (सरकारी) नियम–24 ड.ड.(1) के अनुसार अधिनियम की धारा 84 की उप धारा 2 के परन्तुक के अधीन है।

अतः प्रार्थी का पुर्नावलोकन प्रार्थना पत्र धारा 229 (2) आरटीएक्ट संपठित आदेश 47 नियम–1 सीपीसी के तहत स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती पारित निर्णय दिनांक 29.03.2022 अपास्त किया जाकर जब्त लकडी को कुर्की मुक्त कर काश्तकार को वापिस लौटायी जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 15.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सीता शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीविजयनगर-जिला-श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner